कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सुलतानपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या –   / 2021

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–1944/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 14 April 2021 के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों को खोलने/ कार्य करने के सम्बन्ध में गाईड लाइन प्राप्त हुई है माननीय उच्च न्यायालय की गाईड लाइन के अनुक्रम में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, सुलतानपुर खुलेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक कार्य हेतु अन्य अतिरिक्त परिवार न्यायालयों को भी खोला जा सकता है। जनपद न्यायालय में कुछ कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाये गये जिसके कारण न्यायालय परिसर को पूर्ण रूप से सेनेटाइजेशन कराने हेतु दिनांक 15.04.2021 एवं 16.04.2021 के लिये न्यायालयों को बन्द किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत गाईड लाइन के अनुसार दिनांक 17.04.2021 से प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय में निम्नवत् कार्य सम्पादित किये जायेगें :–

1–अत्यावश्यक फौजदारी प्रार्थना पत्रों की सुनवाई/निस्तारण।

2–अत्यावश्यक सिविल प्रार्थना पत्रों की सुनवाई /निस्तारण जैसे स्थगन के मामले।

3–ऐसे वाद/मामले जिनमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निश्चित समय के अन्दर त्वरित निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया हो।

4–ऐसे मामले जिन्हें न्यायालय आवश्यक उचित समझे, की सुनवाई।

5–आवश्यक प्रार्थना पत्र विद्वान अधिवक्ता ई–मेल के माध्यम से जनपद न्यायालय के ई–मेल वेवसाईट dcsultanpur@gmail.com पर प्रस्तुत करेगें। जिन पर अधिवक्ता/वादकारी अपना मोबाईल नम्बर व ई–मेल आईडी अंकित करेगें।

6–कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा ई–मेल से प्राप्त प्रार्थना पत्रों को डाउनलोड किया जायेगा एवं उनकी सूची तैयार की जायेगी।

7–नये सिविल एवं फौजदारी मुकदमें व प्रार्थना पत्र केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर केन्द्र (Centralised filing Counter) द्वारा प्राप्त किये जायेगें इन मुकदमों/प्रार्थना पत्रों को CIS पर दर्ज किया जायेगा। मुकदमों और प्रार्थना पत्रों पर अधिवक्ता/वादकारी का विवरण उनके मोबाईल नम्बर सहित अंकित होना चाहिए। यदि कोई कमी होगी तो सम्बन्धित को सूचित किया जायेगा।

8–न्यायालय कक्ष में अधिवक्तागण के बैठने हेतु चार कुर्सियां निर्धारित दूरी पर उपलब्ध रहेगी। न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मास्क का प्रयोग करेगा न्यायालय कक्ष के दरवाजे पर सेनेटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। रीडर, लिपिक आदि सामाजिक व शारीरिक दूरी बनाये रखेगें।

9–केवल वह विद्वान अधिवक्ता, वादकारी न्यायालय परिसर में प्रवेश कर सकेगें जिनके मुकदमें/मामले सुनवाई हेतु सूचीबद्ध होगे। जैसे ही मुकदमें की सुनवाई पूरी होगी सम्बन्धित विद्वान अधिवक्ता, वादकारी न्यायालय परिसर छोड़ देगें।

10–न्यायालय परिसर में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी प्रवेश नही करेगें।

11–आवश्यकता अनुसार (JitsiMeet) पर Video Conferencing के माध्यम से सुनवाई की सुविधा ली जा सकती है जिसका Link ID- https://meet.jit.si/pjfc है।

12–प्रत्येक कार्य दिवस में किये गये कार्यो की रिपोर्ट कार्यालय CPC माननीय उच्च न्यायालय को प्रति दिन प्रेषित की जायेगी।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय सुलतानपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1–महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

2–बार एसोसिएशन सुलतानपुर।

3–बार एसोसिएशन कादीपुर।

4–बार एसोसिएशन मुसाफिरखाना।

5–जिला सूचना अधिकारी सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।

6–सिस्टम आफिसर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7–मुन्सरिम केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15/4/21

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय सुलतानपुर।